

निर्णय ब इजलास प्रकारा राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 617/2023 (धारा 14 सेक्युरिटाईजेरान)  
आवास फाईनेशियल लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 2011-2012 परतार  
साउथ एण्ड स्थायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।


प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री मनीष जोगी पुत्र श्री चतर सिंह  
निवासी :- ए-100, अजमेर रोड, जय माँ वैष्णो नगर, गजसिंहपुरा, हीरापुरा, जयपुर।  
एवं प्लॉट नम्बर 73 का दक्षिणी भाग, वेदान्त सिटी, बगरकलां, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जिला  
जयपुर।
2. श्री चतर सिंह पुत्र श्री रामचरण  
निवासी :- 13, ग्राम तहरपुरा, तहसील हिण्डोले, मुक्रावली, करोली।
3. श्रीमती राजेश पत्नी श्री मनीष  
निवासी :- जोगीपुरा, तहरपुरा, तहसील हिण्डोले, मुक्रावली, करोली।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

उपास्थित श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 19.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
25.12.2020 को पुनर्गुतान हेतु जनानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मनीष जोगी के स्वामित्व की  
संपत्ति प्लॉट नम्बर 73 का दक्षिणी भाग, वेदान्त सिटी, बगरकलां, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर,  
जिला जयपुर क्षेत्रफल 67.88 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 10,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा  
उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण गुगतान करने में अक्षरल  
रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.03.2023 को रजिस्टर्ड  
नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि नय ध्याज गुगतान नहीं  
करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की  
धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का नैतिक रूप से कब्जा प्राप्त  
करने हेतु आवश्यक पुलिस इनदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से  
सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।


जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 10,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 10,73,172/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.03.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री मनीष जोगी के स्वामित्व की बन्धक संपत्ति प्लॉट नम्बर 73 का दक्षिणी भाग, वेदान्त सिटी, बगरुकलां, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 67.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर